(17)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R.887-तीन/14

हीरालाल यादव तनय श्री गंगा प्रसाद यादव उम्र 35 साल निवासी महसुआ
तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 ..... निगरानी कर्ता

887-III/14

बनाम

1- शासन म0प्र0 द्वारा प्रभारी तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा
2- शान्ती साहू पत्नी सूर्यदीन साहू वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत महसुआ टिकुरी टोला विकास खण्ड रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

एस.पी.यादव ..एड
आज दिनांक 17-2-2014 को
किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

.... गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 215/अपील/13-14

क्रमांक 155
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ______ को प्राप्त

क्लर्क 7-3-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 887/III/ 2014

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 215/13–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 01–02–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। आवेदक के अभिभाषक के अनुसार भूमि सर्वे नंबर 204 पर आवेदक का मकान बना है जबकि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 01–02–2014 में आये तथ्यों अनुसार सर्वे नंबर 204 की भूमि शासकीय है जिस पर आवेदक व्दारा झोंपड़ी (घॉस–फूस की) बनाकर तंत्र विद्या करना एंव तांत्रिकों को इकठ्ठा करके शासकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। सर्वे नंबर 204 की भूमिशाला भवन हेतु आरक्षित है एंव इसी के अंशभाग पर आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसके कारण तहसीलदार ने आवेदक का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है और आवेदक व्दारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर कर्चु0 के समक्ष अपील	

R- 887-III/15 रीवा
दीनानाथ / शासन: शान्ती बाई

की, अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 2/अ–68/11–12 में पारित आदेश दिनांक 22–1–14 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखा है, जिसके कारण अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील निरस्त की है।

4/ उपरोक्त कारणों से आवेदक शासकीय भूमि, जो शाला भवन की है, पर अतिक्रमणकर्ता होने से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का पात्र नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर